

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री के.आर. खोड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 132/2017

दिनांक 24/05/2017

सम्पतसिंह पिता उग्रसिंह उर्फ माधूसिंह ~~सम्पत~~ जाति ~~सम्पत~~ उम्र 58 वर्ष
निवासी रेड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा प्रार्थी

बनाम

1. रामरतन पिता जगरूप धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. जीवन पिता जगरूप धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. जगदीश पिता उदा धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. कनीराम पिता बरदा धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. भंवरलाल पिता रामसुख शर्मा जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिशनियां तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. राजस्थान राज्य जरिये भू - धारक तहसीलदार साहब कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--: निर्णय :-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 05/04/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम - बिशनियां, पटवार हल्का - बिशनियां, भू.अ.नि.क्षेत्र पारोली, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 1567 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1568 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1570 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 1571/1 रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 1571/2 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1572 रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 1573 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 1574 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल कीता 8 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक पारोली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम - बिशनियां, पटवार हल्का - बिशनियां, भू.अ.नि. क्षेत्र पारोली, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 1567 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1568 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1570 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 1571/1 रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 1571/2 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1572 रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 1573 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 1574 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल कीता 8 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें एवं कब्जे संबंधी विवाद नही हो एवं हो तो कब्जा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त करे। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 600 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा


उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा